न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 298 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 / 420)

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखपाल कौर पत्नी निशान सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. सुखदीप कौर पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. गुरसिमरन पत्नी निशान सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. धमिन्द्रपाल सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. बलराज सिंह पुत्र सुखमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। 4. हरदलजीत सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 11.09.2025

उपस्थितः1.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय-- दिनांकः07.01.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 90/81 के मुरब्बा नम्बर 26, 29 की कुल 4.137 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण को चक 39 एच के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 11 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 20 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.253 हैक्टेयर, भूमि प्राप्त हुई है। उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी-अपनी भूमि पर आज तक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण अपनी सहूलियत के लिए अपने हिस्सा में आई उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज विभाजन करवाना चाहते है। वादी ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 90/81 के मुरब्बा नम्बर 26, 29 की कुल 4.137 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को घरू बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 90/81 के मुरब्बा नम्बर 26, 29 की कुल 4.137 हैक्टेयर भूमि वादीगण

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण सुखपाल कौर, सुखदीप कौर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें**। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने पंत्राक 4125 दिनांक 30.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादीगण अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 90/81 के मुरब्बा नम्बर 26, 29 की कुल 4.137 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
सुखपाल कौर पत्नी निशान सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। (0.203 हैक्टेयर)	39 एच	26	11 20	0.076 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर	नहरी नहरी	0.076 1.05
सुखदीप कौर पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। (0.164 हैक्टेयर)	39 एच	26	11 20	0.038 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर	नहरी नहरी	0.32 1.05
सुखपाल कौर पत्नी निशान सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। सुखदीप कौर पत्नी गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर। (0.253 हैक्टेयर ब.हि.ब.)	39 एच	26	21	0.253	नहरी	2.10

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम} (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर